संख्या—3772 / 69.1.2000—2(एस0डी0) / 97 टी0सी0

प्रेषक,

श्री एस0 आर0 लाखा
सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक
राज्य नगरीय विकास अभिकरण
उ0प्र0 लखनऊ।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम अनुभाग, लखनऊः दिनाँक—30 सितम्बर, 2000

विषय : राष्ट्रीय मलिन बस्ती सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशासनिक मद में व्यय के सम्बन्ध में।

महोदय,

राष्ट्रीय मलिन बस्ती सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशासनिक मद में व्यय की धनराशि बढ़ाये जाने का प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन था। सूत्र की संस्तुति के आधार पर सूडा / डूडा कार्यालयों में प्रशासनिक व्यय को बढ़ाने के लिए इस सम्बन्ध में जो प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया था उस पर भारत सरकार द्वारा सहमति नहीं व्यक्त की गयी है।इस संबंध में भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार के लिखे ये उपर्युक्त पत्र की प्रतिलिपि शासन के पत्र संख्या— भा0स0 80 / 69.1.2000—1 (एस0डी0) / 97 टी0सी0 दिनांक 25 सितम्बर 2000 द्वारा पहले ही आपको उपलब्ध करा दी गयी है। भारत सरकार के उपर्युक्त पत्र में दिये गये आदेश / निर्देशों का विवरण संक्षेप में निम्नलिखित है।

State shall seek to minimize unproductive expenditure In any case, not more than 5% of the total allocated funds to the State can be utilised for A & OF purpose A & OE expenses of UL Bs and other structures down the line shall be met from the 5% allowed for this purpose out of the funds placed at their disposal. Any expenditure incurred over and above this limit shall be met out of local resources. A further sum not exceeding 3% of the allocated amount at the ULB level can be used for strengthening the ULB structure, Subject to the proviso that the said ULB should have set up the UPE CELL "Similarly, funds under NSDP are to be utilized as per the prescribed guidelines (copy enclosed) of the NSDP.

इस संबंध में मुझे यह कहने को निदेश हुआ है कि भारत सरकार के उपर्युक्त आदेशों का कढ़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए यह भी अवगत कराने का कष्ट करें कि दिनांक 01.04.1999 से दिनांक 30.09.2000 तक मुख्यालय / जनपद स्तर पर उपर्युक्त मदों में अलग—अलग कितना व्यय हुआ है और नया व्यय भारत सरकार के दिशा निर्देश के अनुरूप है अथवा नहीं, से संबंधित सूचना शासन को कृपया 15 दिन के भीतर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(एस0आर0 लाखा)
सचिव

स0—3772(1) / 69.1.2000—2 (एस0डी0) / 97 टी0सी0 तद्दिनांक

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. समस्त जिलाधिकारी / अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण उत्तर प्रदेश।
2. समस्त परियोजना निदेशक, जिला नगरीय विकास अभिकरण उ0प्र0।
3. गार्ड फाईल हेतु।

भवदीय,

(एस0आर0 लाखा)
सचिव